



बिहार सरकार
वित्त विभाग

जेन्डर बजट
2014-15

(अगस्त, 2014)

प्राक्कथन

राज्य का असली विकास तभी संभव है जब महिला विकास में भागीदार बने । महिलायें राज्य की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा है । महिलाओं से संबंधित सभी विकास संकेतक पुरुषों की तुलना में खराब हैं । अधिकतर मामलों में तो लिंग आधारित आंकड़े एकत्रित भी नहीं किये जाते हैं । बिहार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं ।

<u>बिहार</u> में महिला एवं पुरुष के तुलनात्मक विकास संकेतक				
संकेतक	भारत		बिहार	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3		
साक्षरता प्रतिशत –सभी आयु वर्ग (2011)	82.1	65.5	73.4	53.33
लिंग अनुपात–सभी आयु वर्ग (2011)	1000	940	1000	916
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (पुरुष) (2002–06)	66	68	67	66.7
विवाह के समय औसत आयु (महिला)		20.6		19.5
महिलाओं का बॉडी –मास संकेतक (औसत से कम)		35.6		45.1
विवाहित महिलाओं में रक्तहीनता (वर्ग 15– 49)		55.3		67.4
मातृत्व मृत्यु दर		212		261
संस्थागत प्रसव		47		27.7
शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार जन्म) (2010)	46.0	49.0	48.0	49.0

सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि तमाम कार्यक्रमों एवं योजनाओं को इस तरह बनाया जाय कि वे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो । महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिये कई नई योजनायें भी आरम्भ की गयी हैं । राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण कर बिहार को पूरे देश में पहले राज्य का स्थान दिलाया है । इसी के अंतर्गत लिंग-आधारित बजट विवरणी प्रस्तुत की जा रही है ।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 से जेंडर बजटिंग की शुरुआत की गयी है । साधारण भाषा में इस व्यवस्था में निम्नलिखित मुख्य बिन्दु उल्लेखनीय है :-

- प्रत्येक क्षेत्र को महिलाओं के नजरिये से देखा जाये और तदनुसार बजट में यथासम्भव प्रावधान किये जाये ।

- यह आवश्यक नहीं है कि व्यय महिलाओं के लिये ही किया जाय वरन यह आवश्यक है कि ऐसे व्यय से या कार्यक्रमों से महिलाओं की स्थिति में सुधार होता हो अथवा उनको लाभ पहुंचता हो । उदाहरणार्थ पेयजल, सफाई एवं बच्चों का स्वास्थ्य महिलाओं के लिये सीधे कर्णाकित नहीं है, लेकिन इसका सीधा प्रभाव महिलाओं की स्थिति सुधारने में होता है, चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का काफी समय एवं शक्ति इन कार्यों में खर्च होती है ।

इस विवरण में महिलाओं की स्थिति सुधारने वाली योजनाओं के लिये प्रावधानों को दो श्रेणियों में दर्शाया गया ।

श्रेणी-1 में ऐसी योजनायें हैं जिनमें 100 प्रतिशत प्रावधान महिलाओं के लाभ के लिये है ।

श्रेणी-2 में ऐसी योजनायें हैं जिनमें महिलाओं के लाभ के लिये कुल प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत प्रावधान है ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में जेंडर बजट के अंतर्गत शामिल विभागों की सूची निम्नवत् है ।

1. समाज कल्याण विभाग ।
2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति-कल्याण विभाग ।
3. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।
4. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ।

5. शिक्षा विभाग
6. स्वास्थ्य विभाग ।
7. ग्रामीण विकास विभाग ।
8. नगर विकास एवं आवास विभाग ।
9. पंचायती राज विभाग ।
10. श्रम संसाधन विभाग ।
11. योजना एवं विकास विभाग
12. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ।
13. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।
14. कला, संस्कृति एवं यूवा विभाग ।
15. उद्योग विभाग ।
16. वित्त विभाग ।
17. कृषि विभाग ।
18. विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग ।

जेंडर बजटिंग एक विकासमान क्षेत्र है । अभी यह पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं हुआ है । इसमें कुछ कमियाँ रह जा सकती है । लेकिन धीरे-धीरे इसकी बेहतर समझ होती जा रही है । पिछले बजटों में लैंगिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ-साथ विभागों द्वारा कार्यक्रमों के उद्देश्यों, क्रियान्वयन संबंधि दिशा निर्देशों, वित्तीय कसौटियों को महिलाओं के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है । आगामी वर्षों में इसमें उत्तरोत्तर सुधार लाने के लिए सरकार प्रयासरत है ।

जेन्डर बजट 2014-2015 विभागवार विवरणी

(राशि लाख में)

क्र०	मांग सं०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
			बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	51	समाज कल्याण विभाग	385684.84	155298.01	71567.72	477234.84	200433.01	79967.72	284118.34	164630.11	41282.84
2	44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	97582.61	30114.78	0.00	101327.41	30398.24	0.00	100903.12	30120.94	0.00
3	36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	48063.48	14419.04	0.00	69502.48	20850.74	0.00	64110.71	19233.21	0.00
4	30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	19510.00	5793.00	200.00	19510.00	5793.00	200.00	4010.00	1143.00	200.00
5	21	शिक्षा विभाग	943890.99	417286.31	32796.80	988637.07	425943.17	57741.41	1211762.21	537101.24	54046.86
6	20	स्वास्थ्य विभाग	46868.99	2019.01	41801.79	46903.99	2019.01	41836.79	44128.18	0.00	44128.18
7	42	ग्रामीण विकास विभाग	138854.93	10940.00	107704.93	149346.93	12407.61	113304.93	284239.98	10500.00	249239.98
8	48	नगर विकास एवं आवास विभाग	25160.00	7580.00	0.00	35160.00	10580.00	0.00	579.00	269.70	0.00
9	16	पंचायती राज विभाग	17545.18	8772.60	0.00	98230.81	49115.44	0.00	9857.00	4928.52	0.00
10	26	श्रम संसाधन विभाग	422.46	105.68	70.20	483.14	105.68	130.88	815.08	148.52	320.03
11	35	योजना एवं विकास विभाग	55404.00	16621.20	0.00	55404.00	16621.20	0.00	70000.00	21000.00	0.00
12	11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	85818.77	26873.90	837.24	143570.77	45932.06	837.24	146340.83	43654.50	825.83
13	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	3050.13	0.00	3050.13	3050.13	0.00	3050.13	1961.48	0.00	1961.48
14	8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	1930.69	579.20	0.00	2600.70	780.20	0.00	3042.75	912.83	0.00
15	23	उद्योग विभाग	6320.00	1896.00	0.00	7020.00	2106.00	0.00	7895.00	2368.50	0.00
16	12	वित्त विभाग	15991.15	0.00	15991.15	15991.15	0.00	15991.15	0.00	0.00	0.00
17	1	कृषि विभाग	8200.00	2460.00	0.00	6250.00	1875.00	0.00	99263.35	29779.00	0.00
18	43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	49.48	39.58	0.00	49.48	39.58	0.00	45.93	36.74	0.00
कुल योग-			1900347.70	700798.31	274019.96	2220272.90	824999.94	313060.25	2333072.96	865826.81	392005.20

* कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उपशीर्षों में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।

जेन्डर बजट 2014-2015 विभागवार विवरणी
आयोजना भिन्न

(राशि लाख में)

क्र०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
		बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	समाज कल्याण विभाग	121.53	0.00	121.53	316.99	0.00	316.99	316.99	0.00	316.99	414.84	0.00	414.84
2	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	6824.01	2044.79	0.00	10836.38	3250.93	0.00	10836.38	3250.93	0.00	14191.89	4257.57	0.00
3	शिक्षा विभाग	306066.87	114114.64	1597.92	394029.90	152976.76	1196.80	394226.98	152932.87	1491.41	461801.56	182999.05	1246.86
4	स्वास्थ्य विभाग	5082.00	0.00	5082.00	7055.05	0.00	7055.05	7090.05	0.00	7090.05	7788.90	0.00	7788.90
5	पंचायती राज विभाग	3761.52	1880.76	0.00	4545.18	2272.59	0.00	4545.18	2272.59	0.00	4536.00	2268.00	0.00
6	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	546.89	0.00	546.89	637.24	0.00	637.24	637.24	0.00	637.24	725.83	0.00	725.83
7	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	430.28	284.03	0.00	513.79	154.13	0.00	583.79	175.13	0.00	1112.75	333.83	0.00
कुल योग-		322833.10	118324.22	7348.34	417934.53	158654.41	9206.08	418236.61	158631.52	9535.69	490571.77	189858.45	10176.43

* कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उपशीर्ष में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।

जेन्डर बजट 2014-2015 विभागवार विवरणी
आयोजना

(राशि लाख में)

क्र०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
		बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	समाज कल्याण विभाग	181692.87	56575.23	39100.68	214764.57	60117.99	52977.61	306314.57	105252.99	61377.61	283703.50	164630.11	40868.00
2	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	77396.76	18969.72	0.00	81226.23	25207.85	0.00	81226.23	24367.87	0.00	82711.23	24663.37	0.00
3	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	16433.63	4930.10	0.00	48063.48	14419.04	0.00	69502.48	20850.74	0.00	64110.71	19233.21	0.00
4	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	500.52	105.15	150.00	1510.00	393.00	200.00	1510.00	393.00	200.00	4010.00	1143.00	200.00
5	शिक्षा विभाग	418149.10	201549.92	31008.92	408776.81	193767.41	31600.00	453325.81	202468.16	56250.00	749960.65	354102.19	52800.00
6	स्वास्थ्य विभाग	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	36339.28	0.00	36339.28
7	ग्रामीण विकास विभाग	117052.64	18827.83	74847.43	138854.93	10940.00	107704.93	149346.93	12407.61	113304.93	284239.98	10500.00	249239.98
8	नगर विकास एवं आवास विभाग	13805.09	4161.22	0.00	25160.00	7580.00	0.00	35160.00	10580.00	0.00	579.00	269.70	0.00
9	पंचायती राज विभाग	50228.46	25114.24	0.00	13000.00	6500.01	0.00	93685.63	46842.85	0.00	5321.00	2660.52	0.00
10	श्रम संसाधन विभाग	382.84	102.27	41.92	422.46	105.68	70.20	483.14	105.68	130.88	815.08	148.52	320.03
11	योजना एवं विकास विभाग	5000.00	1500.00	0.00	55404.00	16621.20	0.00	55404.00	16621.20	0.00	70000.00	21000.00	0.00
12	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	79467.67	23840.31	0.00	78691.53	24776.90	100.00	136443.53	43835.06	100.00	145615.00	43654.50	100.00
13	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	1232.56	0.00	1232.56	3050.13	0.00	3050.13	3050.13	0.00	3050.13	1961.48	0.00	1961.48
14	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	1051.43	315.43	0.00	1416.90	425.07	0.00	2016.91	605.07	0.00	1930.00	579.00	0.00
15	उद्योग विभाग	3477.35	965.71	0.00	6320.00	1896.00	0.00	7020.00	2106.00	0.00	7895.00	2368.50	0.00
16	वित्त विभाग	9411.99	0.00	9411.99	15991.15	0.00	15991.15	15991.15	0.00	15991.15	0.00	0.00	0.00
17	कृषि विभाग	3284.28	985.28	0.00	8200.00	2460.00	0.00	6250.00	1875.00	0.00	99263.35	29779.00	0.00
18	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	36.56	29.25	0.00	49.48	39.58	0.00	49.48	39.58	0.00	45.93	36.74	0.00
कुल योग-		978603.75	357971.66	155793.50	1100951.67	365249.73	211744.02	1416829.99	488350.81	250454.70	1838501.19	674768.36	381828.77

* कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उपशीर्षों में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।

जेन्डर बजट 2014-2015 विभागवार विवरणी
केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

(राशि लाख में)

क्र०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
		बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	समाज कल्याण विभाग	105914.28	62511.48	3033.32	170603.28	95180.02	18273.12	170603.28	95180.02	18273.12	0.00	0.00	0.00
2	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	5010.82	1503.24	0.00	5495.00	1648.50	0.00	9239.80	2771.94	0.00	0.00	0.00	0.00
3	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2745.48	823.65	0.00	18000.00	5400.00	0.00	18000.00	5400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	शिक्षा विभाग	99889.68	49944.84	0.00	141084.28	70542.14	0.00	141084.28	70542.14	0.00	0.00	0.00	0.00
5	स्वास्थ्य विभाग	26984.37	943.98	24575.82	39763.94	2019.01	34696.74	39763.94	2019.01	34696.74	0.00	0.00	0.00
6	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	4554.70	1366.41	0.00	6490.00	2097.00	100.00	6490.00	2097.00	100.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग-		245099.33	117093.60	27609.14	381436.50	176886.67	53069.86	385181.30	178010.11	53069.86	0.00	0.00	0.00

* कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उपशीर्ष में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।

* वर्ष 2014-15 से केन्द्रीय प्रायोजित योजना से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य योजना से किया जा रहा है ।

जेन्डर बजट 2014-2015 विभागवार विवरणी
केन्द्रीय योजनागत योजना

(राशि लाख में)

क्र०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
		बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	0.00	0.00	0.00	25.00	7.50	0.00	25.00	7.50	0.00	4000.00	1200.00	0.00
	कुल योग-	0.00	0.00	0.00	25.00	7.50	0.00	25.00	7.50	0.00	4000.00	1200.00	0.00

* कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उपशीर्ष में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।

समाज कल्याण निदेशालय

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रम-गृह	आयोजना भिन्न	N2235021040001	91.53	0.00	91.53	116.99	0.00	116.99	116.99	0.00	116.99	164.84	0.00	164.84
2	अन्तर्जातीय विवाह	आयोजना भिन्न	N2235028000002	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00	100.00
3	बिहार राज्य महिला आयोग	आयोजना भिन्न	N2235021030003	30.00	0.00	30.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00
4	प्रदर्शनी,समीनार सम्मेलन इत्यादि	आयोजना	P2235028000101	0.00		0.00	50.00	18.00	0.00	50.00	18.00	0.00	0.00		0.00
5	महिला विकास निगम सहायक अनुदान	आयोजना	P2235021030105	300.00	0.00	300.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	250.00	0.00	250.00
6	मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना	आयोजना	P2235027890107	1874.47	0.00	1874.47	1420.00	0.00	1420.00	1420.00	0.00	1420.00	840.00	0.00	840.00
7	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	आयोजना	P2235027890108	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	20.00	0.00	20.00
8	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	आयोजना	P2235021030109	6368.18	0.00	6368.18	7100.00	0.00	7100.00	10100.00	0.00	10100.00	4200.00	0.00	4200.00
9	मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	आयोजना	P2235027890109	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	200.00	0.00	200.00
10	नारी शक्ति योजना	आयोजना	P2235021030110	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	100.00	0.00	100.00
11	कन्या सुरक्षा योजना	आयोजना	P2235021030111	656.15	0.00	656.15	5000.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	1000.00	0.00	1000.00
12	विभिन्न संस्थाओं के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों क	आयोजना	P2235021010111	6.26	4.70	0.00	20.00	15.00	0.00	20.00	15.00	0.00	30.00	22.50	0.00
कुल योग-				9326.59	4.70	9320.33	16326.99	33.00	16256.99	19326.99	33.00	19256.99	7054.84	22.50	7024.84

आई० सी० डी० एस०

आई0 सी0 डी0 एस0

क्र0	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं दूध पिलाने वाली माँ	आयोजना	P2236027890101	5952.35	3571.41	0.00	5021.30	3012.78	0.00	15646.30	9387.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आर0जी0एस0ई0ए0जी0-सबला	आयोजना	P2235027890102	608.07	0.00	608.07	1083.75	0.00	1083.75	1083.75	0.00	1083.75	0.00	0.00	0.00
3	गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं दूध पिलाने	आयोजना	P2236021010102	31222.63	18733.58	0.00	24515.70	14709.42	0.00	76390.70	45834.42	0.00	0.00	0.00	0.00
4	समेकित बाल विकास योजना	आयोजना	P2235021020103	4943.44	2520.17	0.00	11348.20	5785.31	0.00	11348.20	5785.31	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ऑगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों	आयोजना	P2235027890103	1348.55	674.27	0.00	278.76	139.38	0.00	1502.76	751.38	0.00	2757.67	1378.84	0.00
6	ऑगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों के	आयोजना	P2235021020117	6676.98	3338.49	0.00	1361.00	680.50	0.00	7337.00	3668.50	0.00	6138.03	3069.02	0.00
7	आर0जी0एस0ई0ए0जी0-“सबला”	आयोजना	P2235021020118	4033.35	0.00	4033.35	5291.25	0.00	5291.25	5291.25	0.00	5291.25	0.00	0.00	0.00
8	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	आयोजना	P2236021010203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70276.12	61140.22	0.00
9	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	आयोजना	P2235021030219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4854.00	0.00	4854.00
10	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	आयोजना	P2235021020222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82878.88	54700.06	0.00
11	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	आयोजना	P2235021020224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13429.00	0.00	13429.00
12	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	आयोजना	P2236021010303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41187.56	23476.91	0.00
13	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	आयोजना	P2236027890304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18504.55	10547.59	0.00
14	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	आयोजना	P2236027960305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2459.71	1402.03	0.00

आई0 सी0 डी0 एस0

क्र0	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
15	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	आयोजना	P2235027890312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1976.25	0.00	1976.25
16	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	आयोजना	P2235021020322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9462.98	6150.94	0.00
17	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	आयोजना	P2235021020324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4398.75	0.00	4398.75
18	समेकित बाल-विकास योजना	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	C2235021020602	54457.38	34814.61	0.00	81441.27	52065.40	0.00	81441.27	52065.40	0.00	0.00	0.00	0.00
19	गर्भवती महिलाओं, बच्चों	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	C2236021010602	45539.08	27696.87	0.00	70888.89	43114.62	0.00	70888.89	43114.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20	इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	C2235021030612	2884.50	0.00	0.00	4854.32	0.00	4854.32	4854.32	0.00	4854.32	0.00	0.00	0.00
21	आर0जी0एस0ई0ए0जी0 -“सबला”	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	C2235021020618	3033.32	0.00	3033.32	13418.80	0.00	13418.80	13418.80	0.00	13418.80	0.00	0.00	0.00
कुल योग-				160699.65	91349.40	7674.74	219503.24	119507.41	24648.12	289203.24	160607.41	24648.12	258323.50	161865.61	24658.00

समाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय

समाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	आयोजना	P2235037890101	16363.26	4908.98	0.00	18520.00	5556.00	0.00	22520.00	6756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	आयोजना	P2235031010101	52420.24	15726.07	0.00	70000.00	21000.00	0.00	80000.00	24000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	आयोजना	P2235031020101	3247.00	974.10	0.00	4772.00	1431.60	0.00	4772.00	1431.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4	वृद्धावस्था पेंशन	आयोजना	P2235601020101	967.59	290.28	0.00	1000.00	300.00	0.00	1000.00	300.00	0.00	450.00	135.00	0.00
5	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	आयोजना	P2235037890102	2564.60	0.00	2564.60	4100.00	0.00	4100.00	6100.00	0.00	6100.00	0.00	0.00	0.00
6	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	आयोजना	P2235031010102	402.42	120.73	0.00	880.00	264.00	0.00	880.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	आयोजना	P2235607890102	4105.52	0.00	4105.52	3700.00	0.00	3700.00	3700.00	0.00	3700.00	2600.00	0.00	2600.00
8	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	आयोजना	P2235037890103	129.15	38.75	0.00	220.00	66.00	0.00	220.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	आयोजना	P2235031010103	7736.14	0.00	7736.14	12100.00	0.00	12100.00	15500.00	0.00	15500.00	0.00	0.00	0.00
10	कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	आयोजना	P2235022000103	3060.00	918.00	0.00	3060.00	918.00	0.00	3060.00	918.00	0.00	1200.00	360.00	0.00
11	बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	आयोजना	P2235607890103	2729.89	818.97	0.00	2400.00	720.00	0.00	2400.00	720.00	0.00	1500.00	450.00	0.00
12	कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	आयोजना	P2235027890104	1538.29	461.49	0.00	1540.00	462.00	0.00	1540.00	462.00	0.00	400.00	120.00	0.00
13	बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	आयोजना	P2235601020104	7435.66	2230.70	0.00	7400.00	2220.00	0.00	7400.00	2220.00	0.00	4000.00	1200.00	0.00
14	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	आयोजना	P2235037890104	1208.11	362.43	0.00	2400.00	720.00	0.00	2400.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना	आयोजना	P2235607890104	412.47	123.74	0.00	400.00	120.00	0.00	400.00	120.00	0.00	150.00	45.00	0.00

समाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
16	बाबा आमटे कुष्ठ कल्याण योजना	आयोजना	P2235021040105	0.00	0.00	0.00	400.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना	आयोजना	P2235022000105	0.00	0.00	0.00	800.00	240.00	0.00	800.00	240.00	0.00	200.00	60.00	0.00
18	लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	आयोजना	P2235601020105	10854.20	0.00	10854.20	10762.61	0.00	10762.61	10762.61	0.00	10762.61	7000.00	0.00	7000.00
19	निर्धन एवं निराश्रितों का कल्याण	आयोजना	P2235021010106	0.00	0.00	0.00	400.00	120.00	0.00	250.00	75.00	0.00	150.00	45.00	0.00
20	परवरिश	आयोजना	P2235021020116	0.00	0.00	0.00	1000.00	300.00	0.00	1000.00	300.00	0.00	240.00	72.00	0.00
21	मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	आयोजना	P2235021010119	2527.90	758.37	0.00	4000.00	1200.00	0.00	4000.00	1200.00	0.00	850.00	255.00	0.00
कुल योग-				117702.44	27732.61	25260.46	149854.61	35757.60	30662.61	168704.61	39792.60	36062.61	18740.00	2742.00	9600.00
महायोग-				287728.68	119086.71	42255.53	385684.84	155298.01	71567.72	477234.84	200433.01	79967.72	284118.34	164630.11	41282.84

अनुसूचित जाति

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	आयोजना भिन्न	N2225011970001	2.17	0.65	0.00	10.00	3.00	0.00	10.00	3.00	0.00	10.00	3.00	0.00
2	प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	आयोजना भिन्न	N2225011980001	24.97	7.49	0.00	25.00	7.50	0.00	25.00	7.50	0.00	25.00	7.50	0.00
3	छात्रावासों का संधारण	आयोजना भिन्न	N2225012770002	351.62	105.49	0.00	694.35	208.31	0.00	694.35	208.31	0.00	1059.18	317.75	0.00
4	छात्रवृत्ति/वर्जीफा	आयोजना भिन्न	N2225011970002	7.42	2.22	0.00	10.00	3.00	0.00	10.00	3.00	0.00	10.00	3.00	0.00
5	आवासीय विद्यालय	आयोजना भिन्न	N2225012770003	4850.49	1455.15	0.00	7060.96	2118.29	0.00	7060.96	2118.29	0.00	9526.00	2857.80	0.00
6	वैधिक सहायता	आयोजना भिन्न	N2225018000004	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	0.00	1.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
7	प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	आयोजना भिन्न	N2225012770007	365.50	109.65	0.00	1055.00	316.50	0.00	1055.00	316.50	0.00	1200.00	360.00	0.00
8	पुस्तक अधिकोष की स्थापना	आयोजना भिन्न	N2225012770008	0.00	0.00	0.00	16.00	4.80	0.00	16.00	4.80	0.00	16.00	4.80	0.00
9	नागरिक सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए	आयोजना भिन्न	N2225012770009	0.00	0.00	0.00	0.10	0.03	0.00	0.10	0.03	0.00	0.10	0.03	0.00
10	छात्रवृत्तियां और वृत्तियां	आयोजना भिन्न	N2225012770011	46.07	13.82	0.00	280.00	84.00	0.00	280.00	84.00	0.00	285.00	85.50	0.00
11	प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र	आयोजना भिन्न	N2225012770012	78.83	23.65	0.00	190.53	57.16	0.00	190.53	57.16	0.00	189.72	56.92	0.00
12	छात्रवृत्ति/वर्जीफा	आयोजना	P2225011970101	12901.74	3870.52	0.00	13000.00	3900.00	0.00	13000.00	3900.00	0.00	13009.00	3902.70	0.00
13	छात्रवृत्ति/वर्जीफा	आयोजना	P2225011980101	21030.99	6309.30	0.00	21309.00	6392.70	0.00	21309.00	6392.70	0.00	21810.00	6543.00	0.00
14	शिक्षा	आयोजना	P2225012770101	411.60	123.48	0.00	500.00	150.00	0.00	500.00	150.00	0.00	600.00	180.00	0.00
15	निदेशन और प्रशासन	आयोजना	P2225010010101	13.64	4.09	0.00	15.00	4.50	0.00	15.00	4.50	0.00	20.00	6.00	0.00
16	परिवारोन्मुखी आयोत्पादक योजना हेतु 5 प्रतिशत अं	आयोजना	P2225011020101	0.00	0.00	0.00	50.00	15.00	0.00	50.00	15.00	0.00	50.00	15.00	0.00
17	शिक्षा	आयोजना	P2225012770107	14164.37	0.00	0.00	13861.00	4998.28	0.00	14098.00	4229.40	0.00	14038.00	4211.40	0.00
18	महादलित विकास हेतु	आयोजना	P2225011020115	20775.60	6232.68	0.00	20724.23	6217.27	0.00	20724.23	6217.27	0.00	21609.23	6482.77	0.00

अनुसूचित जाति

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
19	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	आयोजना	P2225011020116	0.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	100.00	30.00	0.00	1000.00	300.00	0.00
20	बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम	आयोजना	P4425001080164	100.00	30.00	0.00	100.00	30.00	0.00	100.00	30.00	0.00	100.00	30.00	0.00
21	अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम	आयोजना	P2225012770318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22	अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास	केन्द्रीय योजनागत योजना	S2225017930401	0.00	0.00	0.00	25.00	7.50	0.00	25.00	7.50	0.00	4000.00	1200.00	0.00
23	प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	C2225022770603	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	अस्वच्छ कार्यों में लगे व्यक्ति	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	C2225012770606	0.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	मेरिट उन्नयन योजना	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	C2225012770609	0.00	0.00	0.00	25.00	7.50	0.00	25.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
26	अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम,	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	C2225012770611	227.91	68.37	0.00	250.00	75.00	0.00	250.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	C2225012770613	982.31	294.69	0.00	4000.00	1200.00	0.00	7744.80	2323.44	0.00	0.00	0.00	0.00
28	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	C2225012770617	3699.53	1109.86	0.00	1000.00	300.00	0.00	1000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग-				80034.76	19761.11	0.00	84402.17	26160.64	0.00	88383.97	26515.20	0.00	89057.23	26567.17	0.00

अनुसूचित जन-जाति

अनुसूचित जन-जाति

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	छात्रवृत्तियां और वृत्तियां	आयोजना भिन्न	N2225022770001	10.15	3.05	0.00	34.00	10.20	0.00	34.00	10.20	0.00	34.00	10.20	0.00
2	खड़िया एवं अन्य आदिम जातियों के कल्याण के निमित्त	आयोजना भिन्न	N2225028000001	8.06	0.00	0.00	33.26	9.98	0.00	33.26	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
3	आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केंद्रों का	आयोजना भिन्न	N2225022820001	32.12	9.64	0.00	56.90	17.07	0.00	56.90	17.07	0.00	58.13	17.44	0.00
4	लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास	आयोजना भिन्न	N2225022770003	28.66	8.60	0.00	59.49	17.85	0.00	59.49	17.85	0.00	139.46	41.84	0.00
5	आवासीय विद्यालय	आयोजना भिन्न	N2225022770004	993.47	298.04	0.00	1295.29	388.59	0.00	1295.29	388.59	0.00	1615.13	484.54	0.00
6	प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केंद्र	आयोजना भिन्न	N2225022770005	24.48	7.34	0.00	14.50	4.35	0.00	14.50	4.35	0.00	24.17	7.25	0.00
7	छात्रवृत्ति/वजीफा	आयोजना	P2225021970101	716.95	215.08	0.00	820.00	246.00	0.00	820.00	246.00	0.00	943.00	282.90	0.00
8	छात्रवृत्ति/वजीफा	आयोजना	P2225021980101	2276.98	683.10	0.00	2450.00	735.00	0.00	2450.00	735.00	0.00	2820.00	846.00	0.00
9	शिक्षा	आयोजना	P2225022770101	489.89	146.97	0.00	684.00	205.20	0.00	684.00	205.20	0.00	1084.00	325.20	0.00
10	अन्य कल्याण कार्यक्रम	आयोजना	P2225028000101	0.00	0.00	0.00	5.00	1.50	0.00	5.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11	अनुसूचित जन जातियों का बहुमुखी विकास-संविधान की	आयोजना	P2225021020101	0.00	0.00	0.00	1161.00	348.30	0.00	1055.00	316.50	0.00	1161.00	348.30	0.00
12	अनुसूचित जन जातियों के फि	आयोजना	P2225021020102	0.00	0.00	0.00	1437.00	431.10	0.00	1306.00	391.80	0.00	1437.00	431.10	0.00
13	थरूहट क्षेत्र विकास	आयोजना	P2225027960125	4515.00	1354.50	0.00	5010.00	1503.00	0.00	5010.00	1503.00	0.00	2530.00	759.00	0.00
14	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	C2225022770607	101.07	30.32	0.00	120.00	36.00	0.00	120.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग-				9196.83	2756.64	0.00	13180.44	3954.14	0.00	12943.44	3883.04	0.00	11845.89	3553.77	0.00
महायोग-				89231.59	22517.75	0.00	97582.61	30114.78	0.00	101327.41	30398.24	0.00	100903.12	30120.94	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	भारत निर्माण कार्यक्रम अंतर्गत अनाच्छादित,	आयोजना	P4215017890101	302.18	90.65	0.00	1712.00	513.60	0.00	2802.00	840.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ग्रामीण स्वच्छता (रूरल सैनिटेशन)	आयोजना	P4215027890101	0.00	0.00	0.00	2250.00	675.00	0.00	3650.00	1095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ग्रामीण स्वच्छता-(रूरल सैनिटेशन)	आयोजना	P4215021060101	0.00	0.00	0.00	6533.00	1959.90	0.00	12063.00	3618.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ग्रामीण जलापूर्ति योजना	आयोजना	P4215011020101	570.89	171.27	0.00	2745.00	823.50	0.00	8825.00	2647.50	0.00	790.00	237.00	0.00
5	20,000 आबादी तक के ग्राम क्षेत्र/उपनगरी	आयोजना	P4215011020102	8.00	2.40	0.00	50.00	15.00	0.00	50.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ग्रामीण जलापूर्ति योजना	आयोजना	P4215017890102	0.00	0.00	0.00	700.00	210.00	0.00	2220.00	666.00	0.00	200.00	60.00	0.00
7	ग्रामीण जलापूर्ति योजना (	आयोजना	P4215011020103	6380.46	1914.14	0.00	13183.00	3954.90	0.00	13183.00	3954.90	0.00	9085.00	2725.50	0.00
8	शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा	आयोजना	P4215021060104	943.72	283.12	0.00	3000.00	900.00	0.00	3000.00	900.00	0.00	2000.00	600.00	0.00
9	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के लिए संरचना	आयोजना	P4215017890104	0.00	0.00	0.00	513.00	153.90	0.00	513.00	153.90	0.00	513.00	153.90	0.00
10	भारत निर्माण कार्यक्रम अंतर्गत अनाच्छादित,	आयोजना	P4215017890105	0.00	0.00	0.00	250.00	75.00	0.00	635.00	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11	लोहिया स्वच्छता योजना	आयोजना	P4215021060105	0.00	0.00	0.00	1000.00	300.00	0.00	1000.00	300.00	0.00	1000.00	300.00	0.00
12	प्राथमिक, मध्य विद्यालयों में जलापूर्ति	आयोजना	P4215017890106	364.74	109.42	0.00	700.00	210.00	0.00	900.00	270.00	0.00	100.00	30.00	0.00
13	ग्रामीण जलापूर्ति योजना (टयूबवेल्स, कूप, नलकूप)	आयोजना	P4215017960107	0.00	0.00	0.00	317.00	95.10	0.00	317.00	95.10	0.00	115.00	34.50	0.00
14	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के लिए संरचना का	आयोजना	P4215017960109	0.00	0.00	0.00	38.00	11.40	0.00	38.00	11.40	0.00	38.00	11.40	0.00
15	भारत निर्माण कार्यक्रम अंतर्गत अनाच्छादित,	आयोजना	P4215017960110	0.00	0.00	0.00	20.00	6.00	0.00	20.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	प्राथमिक, मध्य विद्यालयों में जलापूर्ति	आयोजना	P4215017960111	10.00	3.00	0.00	50.00	15.00	0.00	50.00	15.00	0.00	50.00	15.00	0.00
17	ग्रामीण जलापूर्ति योजना-	आयोजना	P4215017890111	919.87	275.96	0.00	4500.00	1350.00	0.00	4500.00	1350.00	0.00	2300.00	690.00	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
18	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का राज्यांश भू-गर्भीय	आयोजना	P4215011020112	0.00	0.00	0.00	50.00	15.00	0.00	50.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	जल संरक्षण, भू-गर्भीय जल रिचार्ज एवं रेन-वाटर हार्वे	आयोजना	P4215011020115	0.00	0.00	0.00	5.00	1.50	0.00	5.00	1.50	0.00	5.00	1.50	0.00
20	ग्रामीण स्वच्छता (रूरल सैनिटेशन)	आयोजना	P4215027960115	0.00	0.00	0.00	217.00	65.10	0.00	287.00	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21	ग्रामीण जलापूर्ति योजना	आयोजना	P4215017960115	0.00	0.00	0.00	55.00	16.50	0.00	55.00	16.50	0.00	10.00	3.00	0.00
22	भारत निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत	आयोजना	P4215017960116	29.96	8.99	0.00	100.00	30.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के लिए संरचना का ि	आयोजना	P4215011020116	310.12	93.04	0.00	2013.00	603.90	0.00	2013.00	603.90	0.00	2269.00	680.70	0.00
24	भारत निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत	आयोजना	P4215011020117	547.67	164.30	0.00	730.00	219.00	0.00	1884.00	565.20	0.00	0.00	0.00	0.00
25	प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में जलापूर्ति	आयोजना	P4215011020118	2275.76	682.73	0.00	2750.00	825.00	0.00	3550.00	1065.00	0.00	350.00	105.00	0.00
26	भारत निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत	आयोजना	P4215011020120	3725.26	1117.58	0.00	4482.48	1344.74	0.00	7692.48	2307.74	0.00	0.00	0.00	0.00
27	अर्द्ध शहरी/शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति की व्यवस्था	आयोजना	P4215011020121	45.00	13.50	0.00	100.00	30.00	0.00	100.00	30.00	0.00	100.00	30.00	0.00
28	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	आयोजना	P4215017890312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7906.54	2371.96	0.00
29	निर्मल भारत अभियान	आयोजना	P4215017890313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	420.00	0.00
30	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	आयोजना	P4215017960317	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.97	116.39	0.00
31	निर्मल भारत अभियान	आयोजना	P4215017960318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	21.00	0.00
32	निर्मल भारत अभियान	आयोजना	P4215011020329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5530.00	1659.00	0.00
33	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	आयोजना	P4215011020330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29891.20	8967.36	0.00
कुल योग-				16433.63	4930.10	0.00	48063.48	14419.04	0.00	69502.48	20850.74	0.00	64110.71	19233.21	0.00
महायोग-				16433.63	4930.10	0.00	48063.48	14419.04	0.00	69502.48	20850.74	0.00	64110.71	19233.21	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	मुस्लिम परित्यक्ता को सहायता के रूप	आयोजना	P2250001010101	150.00	0.00	150.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
2	अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	आयोजना	P2202021070103	350.52	105.15	0.00	1300.00	390.00	0.00	1300.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को लोक सेवा	आयोजना	P2202031070106	0.00	0.00	0.00	10.00	3.00	0.00	10.00	3.00	0.00	10.00	3.00	0.00
4	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	आयोजना	P2202021070210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3400.00	1020.00	0.00
5	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	आयोजना	P2202021070310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	120.00	0.00
6	अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्य	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	C2202031070602	1526.46	457.94	0.00	4500.00	1350.00	0.00	4500.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को माध्यमिकोत्तर छात्रवृत्ति	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	C2202031070603	168.15	50.45	0.00	6000.00	1800.00	0.00	6000.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	C2202021070603	1050.87	315.26	0.00	7500.00	2250.00	0.00	7500.00	2250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग-				3246.00	928.80	150.00	19510.00	5793.00	200.00	19510.00	5793.00	200.00	4010.00	1143.00	200.00
महायोग-				3246.00	928.80	150.00	19510.00	5793.00	200.00	19510.00	5793.00	200.00	4010.00	1143.00	200.00

प्राथमिक शिक्षा

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	आयोजना भिन्न	N2202011910001	1205.20	843.64	0.00	1732.50	1212.75	0.00	1732.50	1212.75	0.00	1486.80	1040.76	0.00
2	नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	आयोजना भिन्न	N2202011920001	1124.55	730.96	0.00	3091.50	2009.48	0.00	3091.50	2009.48	0.00	2106.00	1368.90	0.00
3	नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	आयोजना भिन्न	N2202011930001	1007.03	553.87	0.00	2880.00	1584.00	0.00	2880.00	1584.00	0.00	2860.80	1573.44	0.00
4	पंचायत शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	आयोजना भिन्न	N2202011980002	7661.64	2298.49	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	780.00	234.00	0.00
5	प्रखंड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान हेतु	आयोजना भिन्न	N2202011970002	35805.23	23273.40	0.00	52673.40	34237.71	0.00	52673.40	34237.71	0.00	63916.80	41545.92	0.00
6	मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण	आयोजना भिन्न	N2202011090003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	मुख्यमंत्री पोशाक योजना	आयोजना	P2202011090101	28704.64	14352.32	0.00	10082.80	5041.40	0.00	37582.80	18791.40	0.00	21400.00	10700.00	0.00
8	विद्यालयों में मध्याह्न भोजन	आयोजना	P2202011120101	39439.84	19719.92	0.00	30000.00	15000.00	0.00	30000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	सर्व शिक्षा अभियान (एसओएसओ)	आयोजना	P2202011110101	245476.00	122738.00	0.00	240936.00	120468.00	0.00	233610.00	116805.00	0.00	150.00	75.00	0.00
10	ओजार	आयोजना	P2202017890101	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00
11	मुख्य मंत्री बालिका साईकिल योजना	आयोजना	P2202027890102	1972.38	0.00	1972.38	2800.00	0.00	2800.00	2800.00	0.00	2800.00	2475.00	0.00	2475.00
12	प्रौढ़ शिक्षा	आयोजना	P2202042000102	17555.18	16677.42	0.00	11100.00	10545.00	0.00	8325.00	7908.75	0.00	12048.57	11446.14	0.00
13	सर्व शिक्षा अभियान	आयोजना	P2202017890103	36324.00	18162.00	0.00	63664.00	31832.00	0.00	63664.00	31832.00	0.00	56052.65	28026.33	0.00
14	आईओसीटीओ परियोजना	आयोजना	P2202021090105	0.00	0.00	0.00	334.00	167.00	0.00	334.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	आयोजना	P2202021070106	13339.24	0.00	13339.24	15200.00	0.00	15200.00	15200.00	0.00	15200.00	14025.00	0.00	14025.00
16	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	आयोजना	P2202021070107	10346.07	0.00	10346.07	7500.00	0.00	7500.00	12626.00	0.00	12626.00	11250.00	0.00	11250.00
17	बिहार बाल भवन को अनुदान	आयोजना	P2202010010107	200.00	180.00	0.00	460.00	414.00	0.00	460.00	414.00	0.00	250.00	225.00	0.00

प्राथमिक शिक्षा

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
18	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०)	आयोजना	P2202021090107	13418.95	6709.48	0.00	10500.00	5250.00	0.00	10500.00	5250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	अन्य विद्यालय	आयोजना	P2202021070108	5097.30	0.00	5097.30	6000.00	0.00	6000.00	25524.00	0.00	25524.00	25000.00	0.00	25000.00
20	सर्व शिक्षा अभियान	आयोजना	P2202017960109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9655.41	4827.71	0.00
21	औजार	आयोजना	P2202011010111	253.93	0.00	253.93	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	35.00	0.00	35.00
22	सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०)	आयोजना	P2202011110201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400000.00	200000.00	0.00
23	प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)	आयोजना	P2202011120203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128229.00	64114.50	0.00
24	प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)	आयोजना	P2202017890306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	20000.00	0.00
25	राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	C2202011010601	99889.68	49944.84	0.00	140084.28	70042.14	0.00	140084.28	70042.14	0.00	0.00	0.00	0.00
26	आई०सी०टी० परियोजना	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	C2202021090605	0.00	0.00	0.00	1000.00	500.00	0.00	1000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग-				558820.86	276184.34	31008.92	600138.49	298303.48	31600.00	642187.49	305754.23	56250.00	791736.03	385177.70	52800.00

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	जिला परिषद माध्यमिक शिक्षकों	आयोजना भिन्न	N2202021960001	9390.90	4695.45	0.00	21360.00	10680.00	0.00	21360.00	10680.00	0.00	31616.64	15808.32	0.00
2	निरीक्षिका	आयोजना भिन्न	N2202021010001	933.16	0.00	933.16	462.52	0.00	462.52	462.52	0.00	462.52	514.02	0.00	514.02
3	नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	आयोजना भिन्न	N2202021910001	364.22	218.53	0.00	980.00	588.00	0.00	980.00	588.00	0.00	1543.08	925.85	0.00
4	नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	आयोजना भिन्न	N2202021920001	443.39	221.69	0.00	945.00	472.50	0.00	945.00	472.50	0.00	1795.20	897.60	0.00
5	नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	आयोजना भिन्न	N2202021930001	589.50	294.75	0.00	1030.00	515.00	0.00	1030.00	515.00	0.00	1882.32	941.16	0.00
6	जिला परिषद उच्चतर माध्यमिक	आयोजना भिन्न	N2202021960002	2383.03	1191.51	0.00	3036.00	1518.00	0.00	3036.00	1518.00	0.00	12483.36	6241.68	0.00
7	नगर माध्यमिक उच्चतर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	आयोजना भिन्न	N2202021930002	297.08	148.54	0.00	377.00	188.50	0.00	377.00	188.50	0.00	1555.20	777.60	0.00
8	नगर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान	आयोजना भिन्न	N2202021910002	627.65	313.83	0.00	813.00	406.50	0.00	813.00	406.50	0.00	3280.32	1640.16	0.00
9	नगर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	आयोजना भिन्न	N2202021920002	443.98	221.99	0.00	698.00	349.00	0.00	698.00	349.00	0.00	2164.32	1082.16	0.00
10	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०)	आयोजना	P2202021090207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13766.00	6883.00	0.00
11	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०)	आयोजना	P2202021090307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4599.00	2299.50	0.00
कुल योग-				15472.91	7306.29	933.16	29701.52	14717.50	462.52	29701.52	14717.50	462.52	75199.46	37497.03	514.02

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	जिला जन शिक्षा कार्यालय	आयोजना भिन्न	N2202042000001	488.87	219.99	0.00	1038.08	467.14	0.00	940.55	423.25	0.00	615.23	276.85	0.00
2	पटना विश्वविद्यालय	आयोजना भिन्न	N2202031020001	20022.01	6006.60	0.00	18502.91	5550.87	0.00	18502.91	5550.87	0.00	20453.21	6135.96	0.00
3	मगध विश्वविद्यालय	आयोजना भिन्न	N2202031020002	57481.74	17244.52	0.00	74534.10	22360.23	0.00	74534.10	22360.23	0.00	81987.51	24596.25	0.00
4	जन शिक्षा निदेशालय	आयोजना भिन्न	N2202040010002	143.48	43.05	0.00	193.43	58.03	0.00	193.43	58.03	0.00	184.85	55.46	0.00
5	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर (बिहार विश्वविद्यालय)	आयोजना भिन्न	N2202031020003	35965.01	10789.50	0.00	42635.35	12790.61	0.00	42635.35	12790.61	0.00	46898.90	14069.67	0.00
6	राजकीय महिला महाविद्यालय	आयोजना भिन्न	N2202031030003	664.76	0.00	664.76	734.28	0.00	734.28	1028.89	0.00	1028.89	732.84	0.00	732.84
7	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	आयोजना भिन्न	N2202031020004	13879.08	4857.68	0.00	18024.68	6308.64	0.00	18024.68	6308.64	0.00	19827.16	6939.51	0.00
8	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	आयोजना भिन्न	N2202031020005	16809.26	5042.78	0.00	22461.11	6738.33	0.00	22461.11	6738.33	0.00	24707.23	7412.17	0.00
9	बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	आयोजना भिन्न	N2202031020008	21223.12	10611.56	0.00	29245.75	14622.88	0.00	29245.75	14622.88	0.00	32170.33	16085.17	0.00
10	भागलपुर विश्वविद्यालय	आयोजना भिन्न	N2202031020009	32074.95	10584.73	0.00	38439.66	12685.09	0.00	38439.66	12685.09	0.00	42283.64	13953.60	0.00
11	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय	आयोजना भिन्न	N2202031020011	35229.73	10568.92	0.00	48590.83	14577.25	0.00	48590.83	14577.25	0.00	53449.92	16034.98	0.00
12	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	आयोजना भिन्न	N2202031020012	9808.30	3138.66	0.00	9550.79	3056.25	0.00	9550.79	3056.25	0.00	10505.88	3361.88	0.00
13	राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास	आयोजना	P2202031020115	6021.57	3010.78	0.00	10100.01	5050.01	0.00	12600.01	6300.01	0.00	11010.02	5505.01	0.00
कुल योग-				249811.88	82118.77	664.76	314050.98	104265.33	734.28	316748.06	105471.44	1028.89	344826.72	114426.51	732.84
महायोग-				824105.65	365609.40	32606.84	943890.99	417286.31	32796.80	988637.07	425943.17	57741.41	1211762.21	537101.24	54046.86

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य	आयोजना भिन्न	N2211001030001	293.83	0.00	293.83	434.86	0.00	434.86	434.86	0.00	434.86	488.01	0.00	488.01
2	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	आयोजना भिन्न	N2211001010001	4319.27	0.00	4319.27	5797.23	0.00	5797.23	5797.23	0.00	5797.23	6455.64	0.00	6455.64
3	महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय	आयोजना भिन्न	N2210051050011	87.26	0.00	87.26	220.49	0.00	220.49	220.49	0.00	220.49	159.94	0.00	159.94
4	प्रशिक्षण नर्स	आयोजना भिन्न	N2210051050012	381.64	0.00	381.64	602.47	0.00	602.47	637.47	0.00	637.47	685.31	0.00	685.31
5	ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० स्कूल	आयोजना	P4210031050112	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	499.00	0.00	499.00
6	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	आयोजना	P2211001020202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.41	0.00	338.41
7	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	आयोजना	P2211001010205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33534.25	0.00	33534.25
8	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	आयोजना	P2211000030206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1967.62	0.00	1967.62
9	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	C2211001020601	173.72	69.49	0.00	319.95	127.98	0.00	319.95	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00
10	स्वास्थ्य उपकेन्द्र	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	C2211001010602	24575.82	0.00	24575.82	34696.74	0.00	34696.74	34696.74	0.00	34696.74	0.00	0.00	0.00
11	तकनीकी परामर्श एवं पर्यवेक्षण	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	C2211000010603	1554.69	466.41	0.00	3191.09	957.33	0.00	3191.09	957.33	0.00	0.00	0.00	0.00
12	प्रशिक्षण और अनुसंधान ए० एन० एम० स्कूल/ एल०एच० *	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	C2211000030604	680.14	408.08	0.00	1556.16	933.70	0.00	1556.16	933.70	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग-				32066.37	943.98	29657.82	46868.99	2019.01	41801.79	46903.99	2019.01	41836.79	44128.18	0.00	44128.18
महायोग-				32066.37	943.98	29657.82	46868.99	2019.01	41801.79	46903.99	2019.01	41836.79	44128.18	0.00	44128.18

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	आयोजना	P2501061010101	7990.69	6792.09	0.00	1450.00	1232.50	0.00	1450.00	1232.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	आयोजना	P2501067890101	1546.53	1314.55	0.00	841.00	714.85	0.00	841.00	714.85	0.00	0.00	0.00	0.00
3	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	आयोजना	P2501067960101	1674.17	1423.04	0.00	609.00	517.65	0.00	609.00	517.65	0.00	0.00	0.00	0.00
4	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	आयोजना	P2505607890101	4320.00	1296.00	0.00	9520.00	2856.00	0.00	10302.72	3090.82	0.00	0.00	0.00	0.00
5	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	आयोजना	P2505607960101	270.00	81.00	0.00	282.50	84.75	0.00	331.42	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00
6	वास विहीन बी०पी०एल० परिवारों को वास	आयोजना	P2216037890101	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
7	वास विहीन बी०पी०एल० परिवारों को वास	आयोजना	P2216037960101	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
8	इंदिरा आवास योजना (आईए वाई)	आयोजना	P2216031050102	37268.41	0.00	37268.41	22521.50	0.00	22521.50	40321.50	0.00	40321.50	0.00	0.00	0.00
9	इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	आयोजना	P2216037890102	29385.30	0.00	29385.30	66861.60	0.00	66861.60	57061.60	0.00	57061.60	0.00	0.00	0.00
10	इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	आयोजना	P2216037960102	8193.72	0.00	8193.72	3141.80	0.00	3141.80	3141.80	0.00	3141.80	0.00	0.00	0.00
11	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	आयोजना	P2505601050102	26403.82	7921.15	0.00	18447.50	5534.25	0.00	22507.86	6752.36	0.00	0.00	0.00	0.00
12	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	आयोजना	P2501061010102	0.00	0.00	0.00	4440.00	0.00	4440.00	4440.00	0.00	4440.00	0.00	0.00	0.00
13	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	आयोजना	P2501067890102	0.00	0.00	0.00	4787.00	0.00	4787.00	4787.00	0.00	4787.00	0.00	0.00	0.00
14	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	आयोजना	P2501067960102	0.00	0.00	0.00	2453.00	0.00	2453.00	2453.00	0.00	2453.00	0.00	0.00	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
15	वास विहीन बी०पी०एल० परिवारों को वास स्थल हेतु भ	आयोजना	P2216031050103	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
16	मुख्य मंत्री शताब्दी इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना	आयोजना	P2216031050105	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	100.00	0.00	100.00	2500.00	0.00	2500.00
17	मुख्य मंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना	आयोजना	P2216031050106	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
18	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना-विश्व बैंक सम्पोषित- ग्रामीण विकास विभाग हेतु	आयोजना	P2515007890110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5790.00	0.00	5790.00
19	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित-ग्रामीण विकास विभाग हेतु)	आयोजना	P2515001020117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29035.00	0.00	29035.00
20	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना(विश्व बैंक सम्पोषित-ग्रामीण विकास विभाग हेतु)	आयोजना	P2515007960117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	363.00
21	इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	आयोजना	P2216037890202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152928.00	0.00	152928.00
22	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	आयोजना	P2505021010301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29050.00	8715.00	0.00
23	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	आयोजना	P2505027890301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5600.00	1680.00	0.00
24	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	आयोजना	P2505027960301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	105.00	0.00
25	इंदिरा आवास योजना (आईए वाई)	आयोजना	P2216031050302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48488.43	0.00	48488.43
26	इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	आयोजना	P2216037960302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1135.55	0.00	1135.55

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
27	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनओआरओएलओएमओ)	आयोजना	P2501061010302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4675.00	0.00	4675.00
28	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनओआरओएलओएमओ)	आयोजना	P2501067890302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1928.50	0.00	1928.50
29	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनओआरओएलओएमओ)	आयोजना	P2501067960302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1396.50	0.00	1396.50
कुल योग-				117052.64	18827.83	74847.43	138854.93	10940.00	107704.93	149346.93	12407.61	113304.93	284239.98	10500.00	249239.98
महायोग-				117052.64	18827.83	74847.43	138854.93	10940.00	107704.93	149346.93	12407.61	113304.93	284239.98	10500.00	249239.98

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों	आयोजना	P2217031910102	18.35	9.18	0.00	35.00	17.50	0.00	35.00	17.50	0.00	105.00	52.50	0.00
2	नगर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों	आयोजना	P2217031930102	38.43	19.22	0.00	60.00	30.00	0.00	60.00	30.00	0.00	180.00	90.00	0.00
3	नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों	आयोजना	P2217031920102	38.12	19.06	0.00	60.00	30.00	0.00	60.00	30.00	0.00	180.00	90.00	0.00
4	नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों	आयोजना	P2217011910106	3.50	1.75	0.00	5.00	2.50	0.00	5.00	2.50	0.00	15.00	7.50	0.00
5	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना	आयोजना	P2217808000124	13706.69	4112.01	0.00	25000.00	7500.00	0.00	35000.00	10500.00	0.00	99.00	29.70	0.00
कुल योग-				13805.09	4161.22	0.00	25160.00	7580.00	0.00	35160.00	10580.00	0.00	579.00	269.70	0.00
महायोग-				13805.09	4161.22	0.00	25160.00	7580.00	0.00	35160.00	10580.00	0.00	579.00	269.70	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	ग्राम कचहरी के विभिन्न मर्दों हेतु	आयोजना भिन्न	N2515001980010	3761.52	1880.76	0.00	4545.18	2272.59	0.00	4545.18	2272.59	0.00	4536.00	2268.00	0.00
2	पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भ	आयोजना	P2515001970103	577.43	288.71	0.00	708.46	354.23	0.00	1372.46	686.23	0.00	343.12	171.56	0.00
3	ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों	आयोजना	P2515007890103	569.07	284.54	0.00	685.43	342.72	0.00	1245.41	622.71	0.00	311.36	155.68	0.00
4	ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों	आयोजना	P2515007890104	573.67	286.84	0.00	685.44	342.72	0.00	1721.59	860.80	0.00	430.39	215.20	0.00
5	पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों	आयोजना	P2515007890105	141.31	70.66	0.00	141.31	70.66	0.00	277.31	138.66	0.00	69.32	34.66	0.00
6	ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का	आयोजना	P2515001980105	2621.65	1310.83	0.00	3436.22	1718.11	0.00	6170.24	3085.12	0.00	1863.56	931.78	0.00
7	जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों	आयोजना	P2515007890106	18.86	9.43	0.00	18.86	9.43	0.00	37.73	18.87	0.00	9.43	4.72	0.00
8	जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भ	आयोजना	P2515001960106	25.65	12.82	0.00	88.08	44.04	0.00	180.21	90.11	0.00	45.05	22.53	0.00
9	ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों	आयोजना	P2515001980106	3067.82	1533.91	0.00	3436.20	1718.10	0.00	8495.05	4247.53	0.00	2248.77	1124.39	0.00
10	पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना	आयोजना	P2515001010111	42633.00	21316.50	0.00	3800.00	1900.00	0.00	74185.63	37092.82	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग-				53989.98	26995.00	0.00	17545.18	8772.60	0.00	98230.81	49115.44	0.00	9857.00	4928.52	0.00
महायोग-				53989.98	26995.00	0.00	17545.18	8772.60	0.00	98230.81	49115.44	0.00	9857.00	4928.52	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	बीड़ी श्रमिकों के लिए गृह निर्माण हेतु	आयोजना	P2230011090101	59.04	17.71	0.00	40.00	12.00	0.00	40.00	12.00	0.00	40.00	12.00	0.00
2	नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	आयोजना	P2230031010101	38.75	0.00	38.75	65.20	0.00	65.20	124.30	0.00	124.30	300.03	0.00	300.03
3	ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरो का संगठन	आयोजना	P2230017890101	9.01	2.70	0.00	11.75	3.53	0.00	11.75	3.53	0.00	13.02	3.91	0.00
4	ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरो का संगठन	आयोजना	P2230011030101	20.24	6.07	0.00	27.41	8.22	0.00	27.41	8.22	0.00	30.38	9.11	0.00
5	अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय	आयोजना	P2230011140102	154.00	46.20	0.00	125.00	37.50	0.00	125.00	37.50	0.00	157.50	47.25	0.00
6	बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण	आयोजना	P2230011030103	74.63	22.39	0.00	103.10	30.93	0.00	103.10	30.93	0.00	189.15	56.75	0.00
7	अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय	आयोजना	P2230017890103	24.00	7.20	0.00	45.00	13.50	0.00	45.00	13.50	0.00	65.00	19.50	0.00
8	स्थापित महिला ओ० प्र० सं० में नया व्यवसाय प्रारंभ	आयोजना	P2230030030112	3.17	0.00	3.17	5.00	0.00	5.00	6.58	0.00	6.58	20.00	0.00	20.00
कुल योग-				382.84	102.27	41.92	422.46	105.68	70.20	483.14	105.68	130.88	815.08	148.52	320.03
महायोग-				382.84	102.27	41.92	422.46	105.68	70.20	483.14	105.68	130.88	815.08	148.52	320.03

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	आपात कालीन कोशी बाढ़ पुनर्वास परियोजना, विश्व बैंक	आयोजना	P2235012020105	4000.00	1200.00	0.00	40404.00	12121.20	0.00	40404.00	12121.20	0.00	70000.00	21000.00	0.00
2	आपात कालीन कोशी बाढ़ पुनर्वास परियोजना के अन्तर्गत	आयोजना	P2235012020106	1000.00	300.00	0.00	15000.00	4500.00	0.00	15000.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग-				5000.00	1500.00	0.00	55404.00	16621.20	0.00	55404.00	16621.20	0.00	70000.00	21000.00	0.00
महायोग-				5000.00	1500.00	0.00	55404.00	16621.20	0.00	55404.00	16621.20	0.00	70000.00	21000.00	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	पिछड़ी जातियों के लिये बारह कन्या आवासीय उच्च विद्य	आयोजना भिन्न	N2225032770010	546.89	0.00	546.89	637.24	0.00	637.24	637.24	0.00	637.24	725.83	0.00	725.83
2	छात्रवृत्ति/वजीफा	आयोजना	P2225031970101	556.83	167.05	0.00	12250.00	3675.00	0.00	12250.00	3675.00	0.00	12500.00	3750.00	0.00
3	छात्रवृत्ति/वजीफा	आयोजना	P2225031980101	999.96	299.99	0.00	26360.00	7908.00	0.00	26360.00	7908.00	0.00	27500.00	8250.00	0.00
4	शिक्षा	आयोजना	P2225032770101	77910.88	23373.27	0.00	39981.53	13193.90	0.00	97733.53	32252.06	0.00	98800.00	29640.00	0.00
5	छात्राओं के लिए छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य राज्यांश	आयोजना	P2225032770108	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
6	अन्य पिछड़े वर्गों और अनधिसूचित, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	आयोजना	P2225032770212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6715.00	2014.50	0.00
7	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	C2225032770601	4309.46	1292.84	0.00	6000.00	1980.00	0.00	6000.00	1980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति)	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	C2225032770602	245.24	73.57	0.00	390.00	117.00	0.00	390.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	छात्राओं हेतु छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	C2225032770607	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग-				84569.26	25206.72	546.89	85818.77	26873.90	837.24	143570.77	45932.06	837.24	146340.83	43654.50	825.83
महायोग-				84569.26	25206.72	546.89	85818.77	26873.90	837.24	143570.77	45932.06	837.24	146340.83	43654.50	825.83

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	भूमि अर्जन हेतु (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	आयोजना	P4047007890101	1232.56	0.00	1232.56	3050.13	0.00	3050.13	3050.13	0.00	3050.13	1961.48	0.00	1961.48
कुल योग-				1232.56	0.00	1232.56	3050.13	0.00	3050.13	3050.13	0.00	3050.13	1961.48	0.00	1961.48
महायोग-				1232.56	0.00	1232.56	3050.13	0.00	3050.13	3050.13	0.00	3050.13	1961.48	0.00	1961.48

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	खेलकूद	आयोजना भिन्न	N2204001040001	387.35	271.15	0.00	469.11	140.73	0.00	469.11	140.73	0.00	594.92	178.48	0.00
2	कला और संस्कृति का संवर्धन	आयोजना भिन्न	N2205001020001	42.93	12.88	0.00	44.68	13.40	0.00	114.68	34.40	0.00	517.83	155.35	0.00
3	खेलकूद	आयोजना	P2204007890101	57.06	17.12	0.00	100.00	30.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	कला और संस्कृति का संवर्धन	आयोजना	P2205007890101	98.80	29.64	0.00	90.10	27.03	0.00	90.10	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
5	कला और संस्कृति का संवर्धन	आयोजना	P2205001020101	407.68	122.30	0.00	491.80	147.54	0.00	1091.81	327.54	0.00	1100.00	330.00	0.00
6	खेलकूद	आयोजना	P2204001040102	487.89	146.37	0.00	735.00	220.50	0.00	735.00	220.50	0.00	830.00	249.00	0.00
कुल योग-				1481.71	599.46	0.00	1930.69	579.20	0.00	2600.70	780.20	0.00	3042.75	912.83	0.00
महायोग-				1481.71	599.46	0.00	1930.69	579.20	0.00	2600.70	780.20	0.00	3042.75	912.83	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	पिछड़ी जातियों के लिए वि	आयोजना	P2851001070101	1098.43	329.53	0.00	2551.50	765.45	0.00	2551.50	765.45	0.00	4800.00	1440.00	0.00
2	हस्तशिल्प का विकास	आयोजना	P2851001040101	498.55	109.68	0.00	408.77	122.63	0.00	1108.77	332.63	0.00	1290.00	387.00	0.00
3	हस्तकरघा विकास की योजना	आयोजना	P2851001030103	1880.37	526.50	0.00	3359.73	1007.92	0.00	3359.73	1007.92	0.00	1805.00	541.50	0.00
कुल योग-				3477.35	965.71	0.00	6320.00	1896.00	0.00	7020.00	2106.00	0.00	7895.00	2368.50	0.00
महायोग-				3477.35	965.71	0.00	6320.00	1896.00	0.00	7020.00	2106.00	0.00	7895.00	2368.50	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना-विश्व	आयोजना	P2515007890101	3261.00	0.00	3261.00	10287.15	0.00	10287.15	10287.15	0.00	10287.15	0.00	0.00	0.00
2	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना	आयोजना	P2515001020114	5863.99	0.00	5863.99	5562.00	0.00	5562.00	5562.00	0.00	5562.00	0.00	0.00	0.00
3	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना -	आयोजना	P2515007960114	287.00	0.00	287.00	142.00	0.00	142.00	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग-				9411.99	0.00	9411.99	15991.15	0.00	15991.15	15991.15	0.00	15991.15	0.00	0.00	0.00
महायोग-				9411.99	0.00	9411.99	15991.15	0.00	15991.15	15991.15	0.00	15991.15	0.00	0.00	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	भूमि संरक्षण कार्य	आयोजना	P2402007890101	386.04	115.81	0.00	1120.00	336.00	0.00	848.00	254.40	0.00	318.00	95.40	0.00
2	भूमि संरक्षण कार्य	आयोजना	P2402007960108	20.45	6.13	0.00	70.00	21.00	0.00	53.00	15.90	0.00	33.00	9.90	0.00
3	भूमि संरक्षण कार्य	आयोजना	P2402001020112	1998.77	599.63	0.00	5810.00	1743.00	0.00	4399.00	1319.70	0.00	1949.00	584.70	0.00
4	टाल और दियारा विकास योजना	आयोजना	P2401007890113	115.72	34.72	0.00	192.00	57.60	0.00	144.00	43.20	0.00	98.00	29.40	0.00
5	एग्रीविजनस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट	आयोजना	P2401001090114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	15.00	0.00	3384.00	1015.20	0.00
6	टाल और दियारा विकास योजना	आयोजना	P2401001080116	759.10	227.73	0.00	996.00	298.80	0.00	747.00	224.10	0.00	592.20	177.66	0.00
7	एग्रीविजनस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट (वाह्य समपोषित परियोजना)	आयोजना	P2401007890132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	168.00	0.00
8	टाल और दियारा विकास योजना	आयोजना	P2401007960136	4.20	1.26	0.00	12.00	3.60	0.00	9.00	2.70	0.00	9.80	2.94	0.00
9	एग्रीविजनस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट (वाह्य समपोषित परियोजना)	आयोजना	P2401007960154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	16.80	0.00
10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	आयोजना	P2401007890203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9426.56	2827.97	0.00
11	राष्ट्रीय संघारणीय कृषि मिशन	आयोजना	P2401001050207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5200.00	1560.00	0.00
12	एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	आयोजना	P2402001020213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1242.00	372.60	0.00
13	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	आयोजना	P2401001090216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48900.28	14670.08	0.00
14	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	आयोजना	P2401001090217	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7543.00	2262.90	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
15	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	आयोजना	P2401001080220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.00	261.30	0.00
16	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	आयोजना	P2401001190224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4454.00	1336.20	0.00
17	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	आयोजना	P2401007960231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.16	176.75	0.00
18	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	आयोजना	P2401001020301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1692.00	507.60	0.00
19	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	आयोजना	P2401001050307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3807.00	1142.10	0.00
20	एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	आयोजना	P2402001020313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	49.80	0.00
21	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	आयोजना	P2401001090317	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3869.37	1160.81	0.00
22	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	आयोजना	P2401001080320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.98	159.89	0.00
23	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	आयोजना	P2401007890323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	84.00	0.00
24	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	आयोजना	P2401001190324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3690.00	1107.00	0.00
कुल योग-				3284.28	985.28	0.00	8200.00	2460.00	0.00	6250.00	1875.00	0.00	99263.35	29779.00	0.00
महायोग-				3284.28	985.28	0.00	8200.00	2460.00	0.00	6250.00	1875.00	0.00	99263.35	29779.00	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-2013 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2013-2014 में			वित्तीय वर्ष 2013-2014 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	स्नातक-पत्र पाठ्यक्रम-विश्व बैंक	आयोजना	P2203001050101	36.56	29.25	0.00	49.48	39.58	0.00	49.48	39.58	0.00	45.93	36.74	0.00
कुल योग-				36.56	29.25	0.00	49.48	39.58	0.00	49.48	39.58	0.00	45.93	36.74	0.00
महायोग-				36.56	29.25	0.00	49.48	39.58	0.00	49.48	39.58	0.00	45.93	36.74	0.00

महिलाओं एवं बच्चों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

1. महिला विकास निगम :- महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महिला विकास निगम, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के जीवन-स्तर में गुणात्मक सुधार, उद्यमिता प्रोत्साहन, आयवर्द्धक गतिविधियाँ, स्वनियोजन हेतु प्रशिक्षण, सरकारी अथवा गैर-सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ाव, नेतृत्व विकास, सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता अभिवृद्धि, बैंको से जुड़ाव एवं आधारभूत संरचना के निर्माण आदि कार्य कर रही है ।

(समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण निदेशालय))

2. नारी शक्ति योजना :- “नारी शक्ति योजना” के अंतर्गत महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सशक्तिकरण एवं नवाचारी योजना के निमित्त विभिन्न योजनाओं के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसमें अनैतिक पणन एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष योजना बनायी गयी है, यथा-संरक्षण गृह, अल्पावास गृह, पालनाघर, बिहार राज्य महिला सूचना एवं संसाधन केन्द्र तथा महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन, पोषण तथा क्षमता निर्माण आदि ।

(समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण निदेशालय))

3. पूरक पोषाहार (खाद्य सुरक्षा अधिनियम सहित) :- वित्तीय वर्ष 2014-15 से आई.सी.डी.एस. के पुर्नगठन के आलोक में भारत सरकार द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों के कुल 544 बाल विकास परियोजनाओं में 91677 आंगनवाड़ी केन्द्र (मिनी सहित) स्वीकृत है । सभी स्वीकृत एवं संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) पर वर्द्धित दर से सभी सामान्य/कुपोषित/अतिकुपोषित बच्चों/सभी गर्भवती एवं धातृ महिलाओं तथा सबला जिला रहित सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 3 किशोरी बालिकाओं एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 2 किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किये जाने का प्रावधान है । पूरक पोषाहार मद में व्यय का 50 प्रतिशत राज्य योजना -केन्द्रांश मद से एवं 50 प्रतिशत राज्य योजना-राज्यांश मद से वहन का प्रावधान है ।

(समाज कल्याण विभाग (आईसीडीएस0))

4. जननी एवं बाल सुरक्षा योजना :- इस योजना के अन्तर्गत अस्पताल में बच्चे का जन्म होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में रुपये 1400/- एवं शहरी क्षेत्रों में रुपये 1000/- का भुगतान संबंधित अस्पताल द्वारा दिया जाता है ।

(समाज कल्याण विभाग)

5. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :- “कन्या विवाह” योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना तथा बाल विवाह एवं घरेलू हिंसा को रोकना है । इस योजना के तहत, कन्या को विवाह के समय 5000/- (पाँच हजार) रुपये का भुगतान कन्या के नाम चेक/डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा करना है । इस योजना का लाभ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के वैसे परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय रु0 60,000/- तक हो ।

(समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण निदेशालय))

6. कन्या सुरक्षा योजना :- इस योजना का उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकना, कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना, लिंग अनुपात को बढ़ावा देना एवं जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करना है । इस योजना का लाभ 22.11.2007 के पश्चात जन्म लेने वाली एक परिवार के मात्र दो कन्या संतानों तक के लिए देय होगा । योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वैसे परिवारों को देय होगा जिन्होंने जन्म का विधिवत निबंधन एक वर्ष के अन्दर कराया हो । इस योजना के लाभार्थी की आयु सीमा 0 से 3 वर्ष होनी चाहिए ।

(समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण निदेशालय))

7. मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना :- राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों के वर्ग- तीसरा से चौथा तक के सभी छात्राओं को प्रति छात्रा 500/- रु0 (पाँच सौ) पोशाक हेतु नगद दिया जाता है तथा राज्य के माध्यमिक विद्यालय के वर्ग- छठी से सातवीं में नामांकित तथा उपस्थित होने वाली प्रत्येक बालिका को 700/- (सात सौ) रुपये एवं वर्ग- नवमी से बारहवीं तक के छात्राओं को प्रति छात्रा 1000/- रु0 पोशाक के लिए नगद राशि दिया जाता है । बालिका शिक्षा को उच्च प्राथमिक स्तर पर बढ़ावा देने हेतु यह योजना संचालित की जा रही है । इस योजना का उद्देश्य कक्षा में छात्राओं का नामांकन, विद्यालय में बनाये रखना, छीजन रोकना, शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, लिंग भेद कम करना, शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाना, शैक्षणिक समता का निर्माण तथा महिला सशक्तिकरण है ।

(मानव संसाधन विकास विभाग)

महिलाओं एवं बच्चों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

8. कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय :- कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय का मुख्य उद्देश्य समाज के सुविधा वंचित समूहों- अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बालिकाओं को प्रारम्भिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।

(मानव संसाधन विकास विभाग)

9. लक्ष्मीबाई समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना(2007) :- यह योजना 18 वर्ष से अधिक की विधवा जो या तो बी0पी0एल परिवार की हो या जिनके परिवार की वार्षिक आय 60,000.00 हजार रुपये से अधिक न हो, को 300.00 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। पेंशन का भुगतान पंचायतवार त्रैमासिक शिविर के माध्यम से किया जाता है। जिला पदाधिकारी के स्थान पर अनुमंडल पदाधिकारी को स्वीकृति प्राधिकार बनाया गया है।

(समाज कल्याण विभाग(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय))

10. इन्दिरा आवास योजना :- इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे बिहार के 27 जिलों में ग्रामीण लोगों को 70000/- रुपये एवं 11 आई.ए.पी. जिलों में 75000 आवासीय इकाईयों का निर्माण कराना है।

(ग्रामीण विकास विभाग)

11. मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना :- 9वीं कक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रति बालिका 2500/- रुपये की राशि साईकिल क्रय के लिए उपलब्ध करायी जाती है। इससे बालिकाओं में आत्मविश्वास जागृत होता है एवं माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने में सहायित होती है।

(मानव संसाधन विकास विभाग)

12. अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना :- हिन्दू समाज में व्याप्त जाति प्रथा के उन्मूलन हेतु अन्तर्जातीय विवाह करनेवाली महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। इस योजनान्तर्गत अन्तर्जातीय विवाह करने वाली महिला को 50,000 रुपये राशि का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक के फिक्सड डीपॉजिट के माध्यम से किया जाना है जिसकी अवसंरचना अवधि न्यूनतम तीन वर्षों की होगी।

(समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण निदेशालय))

13. बालिकाओं के लिए हुनर योजना :- मुस्लिम अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति के बालिकाओं को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु 'हुनर' नामक योजना प्रारम्भ की गयी है। जिसमें सात व्यावसायिक ट्रेडों में 6 माह से लेकर एक वर्ष का निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

(मानव संसाधन विकास विभाग)

14. स्वयंसिद्धा कार्यक्रम (केन्द्र प्रायोजित योजना) :- महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिरण हेतु राज्य के 61 प्रखंडों में इस कार्यक्रम को लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर आय उत्पादक कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का कार्यान्वयन महिला विकास निगम के द्वारा किया जाता है।

(समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय))

15. नेशनल प्रोग्राम फॉर गर्ल्स एजुकेशन ऐट एलीमेंट्री लेवल) :- यह योजना अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं को प्रारम्भिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान करने हेतु संचालित की जा रही है

(मानव संसाधन विकास विभाग)

16. ग्रामीण जलापूर्ति योजना :- नाबार्ड के तहत 158 अदद प्रखंड मुख्यालयों में पेय जलापूर्ति हेतु योजना की स्वीकृति नाबार्ड से प्राप्त हुई है। इन पेय जलापूर्ति योजनाओं से महिलाओं के विकास पर होने वाला खर्च लगभग 40 प्रतिशत अनुमानित है।

(लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग)

17. मूक बधिर विद्यालय एवं कर्मशाला का संधारण :- राज्य में मूक बधिर छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा एवं आवास हेतु 5 मूक बधिर विद्यालय (बलक एवं बालिका) यथा पटना, दरभंगा, मुंगेर एवं भागलपुर में संचालित है जिसमें अध्ययनरत छात्रों की मुफ्त शिक्षा, आवास, भोजन, वस्त्र तथा चिकित्सीय सुविधा आदि उपलब्ध कराई जाती है। पटना, भागलपुर एवं जिला में संचालित तीन नेत्रहीन विद्यालय है।

(समाज कल्याण विभाग(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय))

महिलाओं एवं बच्चों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

18. राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रय गृह :- उत्तर रक्षा गृह, किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 44 के अंतर्गत संचालित है जिसका मुख्य उद्देश्य बाल गृह एवं विशेष गृह से निकलने वाली बालिकाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनका पुनर्वास करना है। पुनः बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2003 के नियम 36 के अनुसार उत्तर रक्षा गृह में रह रहे आवासियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ-साथ रोजगार उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जाता है।

(समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण निदेशालय))

19. मध्य विद्यालय की छात्राओं का परिभ्रमण :- इस योजना अन्तर्गत मध्य विद्यालय में नामांकित छात्र/ छात्राओं को वर्ष में एक बार शैक्षणिक परिभ्रमण हेतु राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में छात्राओं को प्राथमिकता दी जाती है। प्रत्येक मध्य विद्यालयों को 10000/- (दस हजार) की राशि इसके लिए उपलब्ध करायी जाती है।

(मानव संसाधन विकास विभाग)

20. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम :- इसके अन्तर्गत सीमावर्ती प्रखण्डों में बालिकाओं को शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए क्षेत्र आधारित व्यवसायों में व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम “ज्ञान ज्योति” संचालित की जा रही है।

(योजना एवं विकास विभाग)

21. बिहार निःशक्तता पेंशन योजना :- राज्य के 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में प्रतिमाह रूपया 300/- पेंशन की राशि के माध्यम से राहत पहुँचाना। वैसे निःसहाय विकलांग जो बिहार के वासी हों या आवेदन की तिथि से कम से कम 10 वर्ष पूर्व से रह रही हो। पेंशन का भुगतान रूपया 300/-प्रतिमाह प्रति पेंशनधारी पंचायतवार त्रैमासिक शिविर के माध्यम से किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी के स्थान पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को स्वीकृति प्राधिकार बनाया गया है।

(समाज कल्याण विभाग(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय))

22. राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :- इसके अधिन 60 से 64 आयु वर्ष के ऐसे गरीब जिनके वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 5000/- रु0 एवं शहरी क्षेत्र में 5500/- रु0 से अधिक नहीं है, वैसे निःसहाय वृद्ध जो बिहार के वासी हों या आवेदन की तिथि से कम से कम 10 वर्ष पूर्व से रह रही हो। पेंशन का भुगतान रु0 200/- प्रतिमाह प्रति पेंशनधारी पंचायतवार त्रैमासिक शिविर के माध्यम से किया जाता है।

(समाज कल्याण विभाग(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय))

23. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना :- सभी बी0पी0एल0 परिवार के 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के सदस्य की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के रूप में एक मुश्त 20 हजार रुपये से राहत पहुँचाना। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दावा स्वीकृति के उपरांत 20 हजार रुपये की अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है।

(समाज कल्याण विभाग(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय))

24. नियमित टीकाकरण कार्यक्रम :- इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य भर में टीका द्वारा बचाव वाली बीमारियों जैसे टेटनस, काली खाँसी, डिप्थीरिया, पोलियो एवं मीजल्स (खसरा) के टीकाकरण कार्यक्रम को सभी बच्चों तक पहुँचाना।

(स्वास्थ्य विभाग)

25. अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु कोचिंग योजना :- यह राज्य योजना इसमें अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए 30 प्रतिशत राशि का व्यय कर्णांकित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना हेतु 10.00 लाख के कुल बजट प्रावधान में 3.00 लाख रुपये छात्राओं के कोचिंग के लिए कर्णांकित है।

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

26. मुस्लिम परित्यक्ता महिला को आर्थिक सहायता :- राज्य योजना के तहत अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं के स्वरोजगार हेतु एक मुश्त रु0 10,000/- (दस हजार रुपये) उपलब्ध कराने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस योजना हेतु 200.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। यह योजना शत प्रतिशत महिलाओं के लिए है।

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

महिलाओं एवं बच्चों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

27. मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना :- इस योजना का उद्देश्य छात्राओं के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि कर विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सभी छात्राओं को प्रति छात्रा ₹0 10000/- (दस हजार) की राशि दी जायेगी, जिससे कि वे अपनी आगे की पढ़ाई के क्रम में विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं आदि की फीस, आवासीय खर्च, किताब, कॉपी इत्यादि पर होने वाले खर्च का वहन कर सकें। इस योजना का लाभ बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को ही मिलेगा।

(मानव संसाधन विकास विभाग)

28. मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधा वृत्ति योजना :- इस योजना का उद्देश्य राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सभी विद्यार्थी, जो बिहार के स्थायी निवासी हैं, लाभान्वित होंगे। इसमें प्रति विद्यार्थी रुपये 10000/- की राशि मेधावृत्ति के रूप में दी जाएगी। इस राशि का उपयोग विद्यार्थियों द्वारा अपनी आगे की पढ़ाई के क्रम में विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं आदि की फीस, आवासीय खर्च, किताब, कॉपी इत्यादि पर होने वाले खर्च पर किया जा सकेगा।

(पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)

29. औजार योजना :- हुनर योजना के अंतर्गत व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले 24000 मुस्लिम अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति के बालिकाओं को टूल किट हेतु 2500 रुपये प्रति बालिका उपलब्ध कराया जायेगा।

(मानव संसाधन विकास विभाग)

30. किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम “सबला” :- राज्य के 12 जिलों यथा- पटना, बक्सर, गया औरंगाबाद, सीतामढ़ी, प० चम्पारण, वैशाली, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, बांका एवं मुंगेर में किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए “सबला” कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत किशोरी बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ-साथ पूरक पोषाहार भी प्रदान किया जाता है। पूरक पोषाहार के व्यय का 50 प्रतिशत राज्य योजना-केन्द्रांश मद से एवं 50 प्रतिशत राज्य योजना-राज्यांश मद से वहन का प्रावधान है। सबला कार्यक्रम के शेष अवयवों पर होने वाले व्यय का शत-प्रतिशत वहन राज्य योजना-केन्द्रांश मद से किया जाता है।

(समाज कल्याण विभाग (आई०सी०डी०एस०))

31. बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना(जीविका) :- यह परियोजना (जीविका) विश्व बैंक के सहयोग से बिहार राज्य ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (बी०आर०एल०पी०एस०) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जाना है। यह परियोजना छः जिलों यथा नालन्दा, गया, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं पूर्णियाँ के 44 प्रखंडों में कार्यान्वित की जा रही थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2012-13 से अन्य सभी प्रखंडों में भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग्रामीण विकास विभाग)

32. महादलित विकास योजना :- महादलित विकास योजनान्तर्गत वास रहित महादलित परिवारों के लिए 3डि. रैयती भूमि क्रय करके प्रत्येक महादलित परिवार को उपलब्ध कराने की योजना है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1961.48 लाख रुपये कर्णांकित है। यह योजना शत-प्रतिशत महिलाओं के लिए है।

(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

33. मुख्यमंत्री इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना :- वैसे लाभुकों जो इंदिरा आवास की द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त कर दो माह के अंदर पूर्ण कर लेने वाले एस०सी०/एस०टी० लाभार्थियों को दो हजार रूपया नगद मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत किया जायेगा।

(ग्रामीण विकास विभाग)

34. मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना :- राज्य के वैसे एस०सी०/एस०टी० परिवार जिन्हें 01.04.2004 के पूर्व आवास की स्वीकृति दी गयी एवं वर्तमान में वह अपूर्ण हो अथवा रहने योग्य नहीं है तो उसे तीस हजार रूपया की सहायता राशि उपलब्ध कराना।

(ग्रामीण विकास विभाग)

महिलाओं एवं बच्चों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

35. राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन :- इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब ग्रामीण महिलाओं को समूह गठित कर रोजगार एवं रोजगार हेतु साधन उपलब्ध कराते हुए बैंको द्वारा वित्त पोषण किया जायेगा।

(ग्रामीण विकास विभाग)

36. आँगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना (राज्य योजना) :- वित्तीय वर्ष 2010-11 से पोशाक योजना का शुभारम्भ किया गया है। राज्य के सभी 544 बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत संचालित सभी आँगनवाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहें 3-6 वर्ष आयु के सभी बच्चों को रु. 250/- वार्षिक लागत की दर पर पोशाक की राशि दिया जाता है। पोशाक मद में व्यय शत्रु-प्रतिशत राज्य योजना-राज्यांश मद से वहन का प्रावधान है।

(समाज कल्याण विभाग (आई0सी0डी0एस0))

37. ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम :- (क) संपूर्ण स्वच्छता अभियान- इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण जनता में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने एवं खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी घरों में शौचालय, सभी विद्यालयों में शौचालय, सभी आँगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय तथा महिलाओं के लिए आवश्यकतानुसार सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाना है। (ख) लोहिया स्वच्छता योजना:- राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ शौचालय का निर्माण तथा त्वरित गति से ग्रामीण स्वच्छता का आच्छादन प्राप्त करने के उद्देश्य से “लोहिया स्वच्छता योजना” की स्वीकृति प्रदान की गई है। लोहिया स्वच्छता योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा ए0पी0एल0 परिवार के लिए ऑफ द पीट (सींगल पीट के साथ) मॉडल के 2000/- रुपये की लागत राशि वाले शौचालय के निर्माण हेतु 1500/- रुपये प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बी0पी0एल0 परिवारों के लिए ओभर दी पीट शौचालय के बदले ऑफ द पीट मॉडल के शौचालय निर्माण करने का निर्णय लिया गया है ताकि शौचालय दीर्घकाल तक उपयोगी रह सके। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा 500/- रुपया अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान इस कार्यक्रम में रखा गया है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत योजना से महिलाओं के विकास पर होने वाला खर्च 50 प्रतिशत अनुमानित है।

(लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग)

38. इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.) :- राज्य के दो जिलों यथा-वैशाली एवं सहरसा में इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से लागू किया गया है। इस योजना के तहत गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को पूर्व में रु. 4000/- की नगद प्रोत्साहन राशि तीन किशतों में प्रदान की जाती थी। वित्तीय वर्ष 2013-14 से भारत सरकार द्वारा रु. 6000/- की नगद प्रोत्साहन राशि दो किशतों में प्रदान किए जाने का प्रावधान है। उक्त राशि का वहन राज्य योजना-केन्द्रांश मद में शत्रु-प्रतिशत किया जाता है।

(समाज कल्याण विभाग (आई0सी0डी0एस0))



©Copyright 2014 Finance Department, Govt. of Bihar.